

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील सं. 68 / 2010 / जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन (प्रथम),  
जोन प्रथम, जयपुर

.....अपीलार्थी

**बनाम्**

मैसर्स केसर इम्पेक्स फ्लोर कन्सेप्टस प्रा. लि. कृष्णा कॉलोनी, नया खेड़ा,  
अम्बाबाड़ी, जयपुर

.....प्रत्यर्थी

**एकलपीठ**

**मोहन लाल नेहरा, सदस्य**

**उपस्थित : :**

श्री रामकरण सिंह  
उप-राजकीय अभिभाषक।

..... अपीलार्थी की ओर से.

श्री एस.के.जैन  
अभिभाषक।

..... प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 18.02.2016**

**निर्णय**

राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील सं. 100/अपील्स/चतुर्थ/2008-09 में पारित निर्णय दिनांक 03.08.2009 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की।

**प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है :-**

1. सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता सप्तम, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा दिनांक 29.07.2008 को ट्रान्सपोर्ट चैकिंग के दौरान दादी का फाटक, जयपुर पर वाहन संख्या आर.जे. 27जी9727 को चैक करने पर वाहन में वाहन चालक द्वारा बुडन फ्लोरिंग माल लदा होना बताया तथा वाहन का बेंगलोर से जयपुर के लिए माल लेकर आना बताया गया। वाहन चालक द्वारा मांगने पर वाहन में लदे माल से संबंधित दस्तावेज- मेनचालान, सबचालान, जयपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट की बिल्टी नं. 522811 बेंगलोर से जयपुर दिनांक 24.07.2008 मैसर्स केसर इम्पेक्स फ्लोर कन्सेप्टस प्रा. लि. बेंगलोर का स्टॉक ट्रांसफर इन्वाइस नं. 603 दिनांक 24.07.2008 वैट 505 तथा वैट 47 प्रस्तुत किया गया। अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। जांच पर पाया गया कि वैट-47 में पार्ट-सी से संबंधित इन्द्राजात 1 नेम एण्ड एड्रेस ऑफ दी ट्रांसपोर्ट कम्पनी 3, रजिस्ट्रेशन नम्बर ऑफ दी व्हीकल अंकित नहीं है तथा



लगातार.....2

कीमत, कार्य में लेने की तारीख तथा महिना संबंधित कॉलम भी पंच किये हुए नहीं पाये गये। अधिनियम की धारा 76(2)(बी) सपठित नियम 53 के अनुसार परिवहन के दौरान वाहन चालक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया गया घोषणा पत्र का पूर्ण भरा होना आवश्यक है तथा कीमत, कार्य में लेने की तारीख तथा महिना संबंधित कॉलम भी पंच किये जाने आवश्यक है। अतः धारा 76(2)(बी) सपठित नियम 53 का उल्लंघन होने से माल मंगाने वाले व्यवहारी को नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी—व्यवहारी ने जवाब प्रस्तुत किया जिससे असंतुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी ने धारा 76(2)(बी) सपठित नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत परिवहनित माल की कीमत रूपये 6,99,856/- पर 30 प्रतिशत की दर से शास्ति रूपये 2,09,557/- आरोपित की।

2. कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 01.08.2008 को अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दी गयी। अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनने, रेकॉर्ड का अवलोकन करने एवं विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों का उल्लेख कर विस्तृत निर्णय दिनांक 03.08.2009 को पारित किया।

जिसके महत्वपूर्ण अंशों का उद्धरण निम्न प्रकार से है:—

“उपर्युक्त विवेचन एवं विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि की ओर से दिये गये तर्कों से मैं सहमत हूँ। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी—व्यवहारी पर शास्ति आरोपित करने से पूर्व विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत जवाब/दस्तावेज का अवलोकन विवेक से नहीं किया। परिवहन के दौरान वाहन चालक के पास उपलब्ध समस्त दस्तावेज बेंगलोर से प्रारम्भ होने के साथ राजस्थान राज्य में प्रवेश करने से पूर्व विभिन्न चैकपोस्टों पर इन्द्राज हुए है। इसके अलावा राजस्थान राज्य के दस्तावेज वैट-47 आदि की सूचना, कर्नाटक राज्य के घोषणा पत्र में अंकित कर वहीं के संबंधित विभाग को भी इस संबंध में सूचित कर माल को रवाना किया गया। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कम्पनी के द्वारा अपना चालान बनाकर परिवहन के दौरान उपलब्ध कराया गया, जिसमें सर्विस टैक्स आदि के संबंध में पूर्ण रूप से उल्लेख किया गया। उल्लेखनीय तथ्य ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिये गये निर्णय मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज जिसका राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ के द्वारा मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के प्रकरण में निर्वचन करते हुए निर्णय दिया गया, जिसमें प्रौद्धारित सिद्धान्तों का उल्लेख करते हुए यह कहा गया कि एक दूसरे दस्तावेजों को आपस में

7/10/2010

सम्मिलित किया जाना करापवंचन का द्योतक नहीं हो सकता तथा समस्त मेटेरियल एवीडेंस परिवहन के दौरान उपलब्ध है, जिनका किसी भी स्तर पर सत्यापन किया जा सकता है। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी—व्यवहारी का दोषी मनोभाव अन्य जांच से स्पष्ट प्रमाणित नहीं किया गया है। अतः विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिये गये तर्कों एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में अपीलार्थी—व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति का अधिरोपण अविधिक एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी—व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.08.2008 के अन्तर्गत धारा 76(6) के तहत अधिरोपित शास्ति रूपये 2,09,557 /— को अपास्त किया जाता है।”

3. राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह एवं प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. जैन की प्रकरण में बहस सुनी गयी। विभागीय प्रतिनिधि ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपीलीय अधिकारी के निर्णय को अविधिक बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने अपीलीय अधिकारी के निर्णय को उचित बताया एवं हस्तक्षेप के कोई ठोस आधार उपलब्ध नहीं होने जाहिर किये। अपील अस्वीकार किये जाने का आग्रह किया गया।
4. हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का सुक्ष्म परीक्षण किया। कर निर्धारण अधिकारी को दौरान चैकिंग वाहन चालक ने निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये:—
  - (1) मुख्य चालान दिनांक 25.07.2008 जिसमें माल का वजन, किराया, वाहन संख्या, भेजने का स्थान व प्राप्ति का स्थान आदि अंकित है।
  - (2) सब चालान दिनांक 25.07.2008
  - (3) जयपुर गोल्डन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी की बिल्टी जिसमें चालान न. व प्रपत्र 47 के नम्बर अंकित है।
  - (4) इन्वॉयस सं. 603 / 24.07.2008 वेट 47 की संख्या व माल का विवरण, स्टॉक ट्रान्सफर का नोट अंकित होने व 'F' फार्म के विरुद्ध माल भेजना अंकित है। जिसमें कर दायित्व शुन्य है।
  - (5) कर्नाटक सरकार द्वारा जारी फार्म वैट—505
  - (6) वेट—47

 18/02/16

कर निर्धारण अधिकारी ने तकनीकी आधार पर प्रकरण बनाया जिसमें दस्तावेजों में वेट-47 के पार्ट सं. की पूर्ति नहीं होने तथा उपयोग की दिनांक व महीना "पंच" नहीं होना दर्शाया है। वेट-47 के पार्ट-सी में वाहन का बिल्टी नं. व दिनांक अंकित है एवं बिल्टी में वेट 47 प्रपत्र का नम्बर अंकित है। माल "एफ" के आधार पर ब्रांच ट्रान्सफर है, जिस पर कर दायित्व उत्पन्न नहीं होता है। दस्तावेजात में क्रॉस-रेफरेन्स दर्ज है। जिससे प्रपत्र वेट-47 का दुरुपयोग अथवा पुनः उपयोग असम्भव है। कर निर्धारण अधिकारी ने जानबुझकर एवं दुषित मनोवृत्ति के आधार पर तकनीकी कारणों (अत्यन्त कमजोर) के आधार पर करापवंचना का प्रकरण बनाया एवं शास्ति आरोपित की, जो अवांछित एवं अनियमित सिद्ध होती है। अपीलीय अधिकारी ने ठोस न्यायिक उद्रणों का उल्लेख कर एवं तथ्यों की परीक्षा कर उचित निर्णय पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप की कोई अपेक्षा अथवा आधार उपलब्ध नहीं है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(मोहन लाल नेहरा)  
सदस्य